SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

बिहार में कृषि–आधारित उद्योगों की वर्तमान स्थिति एवं विकास

सुधांशु कुमार, पी.–एचडी.
सिवान, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
सुधांशु कुमार
E-mail : sudhanshusiwan007@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 04/07/2025
Revised on : 05/09/2025
Accepted on : 14/09/2025
Overall Similarity : 00% on 06/09/2025

शोध सार

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उससे संबंधित उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। विशेषकर बिहार जैसे कृषि–प्रधान राज्य में कृषि–आधारित उद्योग ग्रामीण आजीविका, रोजगार तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। प्रस्तुत शोध–पत्र में बिहार की कृषि–आधारित उद्योगों की वर्तमान स्थिति, उनकी क्षेत्रीय संरचना, विकास की प्रवृत्तियाँ तथा सरकारी नीतियों की समीक्षा की गई है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बिहार में गन्ना, चावल, मक्का, फल–सब्ज़ी प्रसंस्करण तथा डेयरी जैसे उद्योगों की उल्लेखनीय संभावना है, किन्तु तकनीकी पिछड़ेपन, पूंजी की कमी, विपणन अवसंरचना तथा नीतिगत चुनौतियों के कारण उनका विकास अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। अंततः यह शोध–पत्र नीति–निर्माताओं और योजनाकारों के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत करता है जिससे बिहार के कृषि–आधारित उद्योगों का संतुलित और सतत् विकास सुनिश्चित हो सके।

मुख्य शब्द

कृषि–आधारित उद्योग, बिहार, डेयरी उद्योग, ग्रामीण विकास, खाद्य प्रसंस्करण, सरकारी नीतियाँ.

प्रस्तावना

कृषि–आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर विभिन्न प्रकार के उपभोग्य या मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करते हैं। इन उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण, चीनी, कपास, जूट, डेयरी, धान एवं गेहूँ प्रसंस्करण आदि शामिल हैं। बिहार में, जहाँ कृषि पारंपरिक रूप से आर्थिक गतिविधियों का मुख्य आधार रहा है और लगभग 77 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, इन उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह उद्योग न केवल

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने, बेरोज़गारी कम करने, बल्कि किसानों को बाज़ार से जोड़ने का भी एक प्रमुख साधन है। बिहार गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में स्थित है, जहाँ की अनुकूल जलवायु और भूमि धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, सब्जियों और फलों (विशेषकर आम, लीची और केला) के उत्पादन के लिए आदर्श है। यह कृषि विविधता राज्य में विभिन्न प्रकार के कृषि–आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए एक मजबूत प्राकृतिक आधार प्रदान करती है। इस शोध–पत्र का उद्देश्य बिहार में इन उद्योगों की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करना, उनकी विकास यात्रा को रेखांकित करना, प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना और भविष्य के लिए नीतिगत सुझाव देना है।

बिहार के प्रमुख कृषि–आधारित उद्योगों की वर्तमान स्थिति

बिहार में अनेक कृषि–आधारित उद्योग कार्यरत हैं, जिनकी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान चुनौतियाँ और संभावनाएँ हैं। इन उद्योगों का सीधा संबंध राज्य की कृषि उत्पादकता, किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार से है। निम्नलिखित खंडों में बिहार के प्रमुख कृषि–आधारित उद्योगों की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है:

1. गन्ना उद्योग

बिहार का गन्ना उद्योग ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। एक समय राज्य में 30 से अधिक चीनी मिलें सक्रिय थीं, जो उत्तर बिहार के जिलों चंपारण, गोपालगंज, सीवान और समस्तीपुर में केंद्रित थीं। ये मिलें न केवल गन्ना किसानों की आर्थिक रीढ़ थीं बल्कि हजारों श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती थीं, किंतु विगत कुछ दशकों में गन्ना उद्योग गंभीर संकट से गुज़रा है। प्रबंधन की कमजोरियाँ, तकनीकी पिछड़ापन, अवसंरचना की कमी तथा वित्तीय घाटे के कारण अधिकांश चीनी मिलें बंद हो गई हैं। वर्तमान में केवल कुछ ही इकाइयाँ सीमित क्षमता पर संचालित हैं। यह स्थिति राज्य में गन्ना आधारित औद्योगिक विकास के लिए चिंता का विषय है और इसके पुनर्जीवन के लिए सरकारी हस्तक्षेप तथा निजी निवेश दोनों आवश्यक हैं।

बिहार गन्ना उद्योगः प्रमुख आँकड़े

अनुमानित आँकड़े

वर्ष	कुल मिलें	चालू मिलें	गन्ना क्षेत्र (लाख हे.)	उत्पादन MT)	उत्पादकता (MT/हे.)	क्रशिंग (लाख MT)	चीनी उत्पादन (लाख MT)	रिकवरी (%)
2023–24	11	10	2.37	159.6	67.3	67.72	6.87	10.77
2024–25	11	10	2.50	175.0	70.0	75.00	7.88	11.85

(**स्रोतः** गन्ना विभाग, बिहार सरकार)

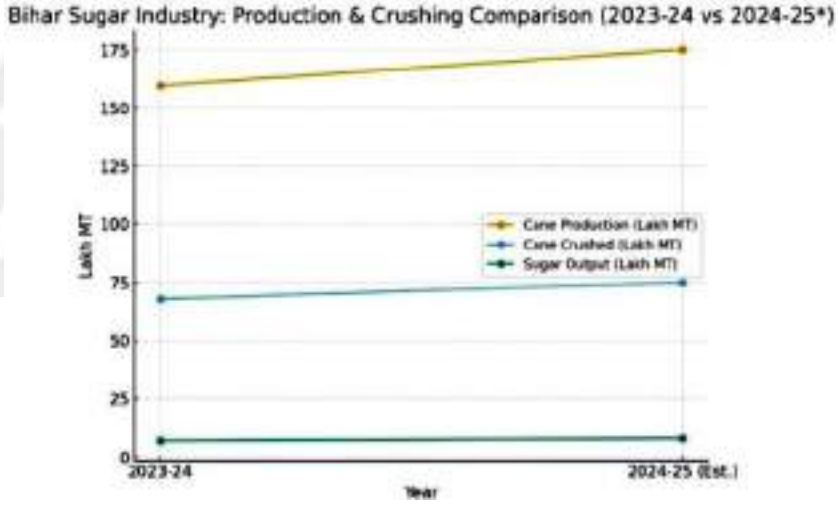

(स्रोतः गन्ना विभाग, बिहार सरकार)

2. चावल एवं आटा मिल उद्योग

धान उत्पादन के मामले में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। गंगा के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु धान की उच्च पैदावार के लिए आदर्श परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। इस विशाल उत्पादन क्षमता ने राज्य में छोटे और बड़े पैमाने पर हजारों चावल मिलों की स्थापना को प्रोत्साहित किया है। ये मिलें न केवल घरेलू उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार का भी सृजन करती हैं। कई जिलों में चावल मिलें स्थानीय कृषि बाजारों का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं, हालांकि इनका तकनीकी उन्नयन और उत्पादकता वृद्धि अब भी आवश्यक है ताकि ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

श्रेणी	इकाइयों की संख्या
चावल मिल (सरकारी)	174
चावल मिल (बाज़ार)	985
आटा मिल (सरकारी)	44
आटा मिल (बाज़ार)	1437

(स्रोतः बिहार कृषि रोड मैप, 2023–28)

3. डेयरी उद्योग

डेयरी उद्योग बिहार की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में से एक है। 'सुधा डेयरी' (COMFED) ने राज्य में डेयरी उद्योग को एक संगठित और सफल सहकारी ढाँचा प्रदान किया है। इस मॉडल ने लाखों ग्रामीण किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को दुग्ध उत्पादन से जोड़कर उनकी आय में स्थिरता और वृद्धि सुनिश्चित की है। दूध उत्पादन में निरंतर वृद्धि ने दुग्ध–आधारित उत्पादों जैसे पनीर, मक्खन, घी और दही के प्रसंस्करण उद्योग को भी गति दी है। वर्तमान में बिहार का डेयरी क्षेत्र सहकारी आंदोलन की सफलता का उदाहरण माना जाता है, जिसे और अधिक जिलों और उत्पाद श्रेणियों में विस्तार करने की अपार संभावनाएँ हैं।

श्रेणी	आँकड़ा / विवरण	स्रोत
दूध संग्रह (प्रति दिन)	30 लाख लीटर (Active collection)	टाइम्स ऑफ इंडिया (2025)
कुल क्षमता (प्रसंस्करण)	33 लाख लीटर / दिन	बिहार सरकार (COMFED)
वार्षिक कारोबार	रू.1,500 करोड़	टाइम्स ऑफ इंडिया (2025)
वार्षिक लाभ	रू.40 करोड़	टाइम्स ऑफ इंडिया (2025)
दूध समितियाँ (सहकारी नेटवर्क)	30,000+	टाइम्स ऑफ इंडिया (2025)
डेयरी प्लांट्स	22 (19 बिहार, 3 झारखंड)	बिहार सरकार (COMFED)
प्रमुख निवेश योजनाएँ	रू. 316 करोड़ (दरभंगा, गया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, डेहरी)	टाइम्स ऑफ इंडिया (2025)

4. फल एवं सब्ज़ी प्रसंस्करण

बिहार फल और सब्ज़ियों की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर लीची, आम और आलू जैसे कृषि उत्पाद यहाँ बड़ी मात्रा में उत्पादित होते हैं। इन उत्पादों के प्रसंस्करण की अपार संभावनाएँ हैं, जो किसानों की आय को बढ़ाने और निर्यात क्षमता विकसित करने में सहायक हो सकती हैं। इसके बावजूद, इस क्षेत्र में संगठित विकास अभी भी सीमित है। प्रसंस्करण इकाइयों की कमी, कोल्ड–स्टोरेज और परिवहन अवसंरचना की अपर्याप्तता तथा तकनीकी नवाचार के अभाव के कारण मूल्यवर्धन का पूरा लाभ किसानों और राज्य की अर्थव्यवस्था तक नहीं पहुँच पा रहा है। यदि इस क्षेत्र में उचित निवेश और नीति समर्थन मिले तो बिहार राष्ट्रीय स्तर पर फलों और सब्ज़ियों के प्रसंस्करण उद्योग में अग्रणी बन सकता है।

श्रेणी	मान	स्रोत
वार्षिक फल उत्पादन	5,059 मीट्रिक टन (रैंक 8)	टाइम्स ऑफ इंडिया (2024)
वार्षिक सब्ज़ी उत्पादन	18,021 मीट्रिक टन (रैंक 4)	टाइम्स ऑफ इंडिया (2024)
आलू उत्पादन	9,075 मीट्रिक टन (रैंक 3)	टाइम्स ऑफ इंडिया (2024)
कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ (वर्तमान)	202	लाइव हिन्दुस्तान (2024)
कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ (पहले)	303	लाइव हिन्दुस्तान (2024)
कोल्ड स्टोरेज क्षमता	12.30 लाख मीट्रिक टन	किसानटाक (2024)
जिले जिनमें कोल्ड स्टोरेज नहीं	12	TOI एवं लाइव हिन्दुस्तान (2024)
कटाई के बाद हानि (भारत, फल एवं सब्ज़ियाँ)	रू.2 लाख करोड़	एसोचौम/रिसर्चगेट (2013)

विकास की प्रवत्तियाँ एवं सरकारी हस्तक्षेप

1. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में बिहार में कृषि–आधारित उद्योगों का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। विशेष रूप से चीनी मिलें, धान मिलें, तेल उद्योग और छोटे स्तर के प्रसंस्करण केंद्रों ने स्थानीय किसानों को उत्पादन और विपणन की नई संभावनाएँ प्रदान कीं। उत्तर बिहार का गन्ना पट्टी क्षेत्र, जिसे कभी "भारत का शक्कर कटोरा" कहा जाता था, उस समय राज्य की औद्योगिक पहचान का प्रतीक था। इसी तरह धान मिलें और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ भी ग्रामीण आजीविका को सहारा देती थीं किन्तु 1980 के दशक के बाद इस विकास की रफ़्तार धीरे–धीरे मंद पड़ गई। इस गिरावट के पीछे कई संरचनात्मक कारण रहे, जिनमें प्रमुख था चीनी उद्योग का पतन, जिसके कारण सैकड़ों गन्ना किसान संकट में आ गए। इसके अतिरिक्त, अवसंरचना की कमी जैसे अपर्याप्त बिजली आपूर्ति, परिवहन नेटवर्क की कमजोरी और भंडारण सुविधाओं का अभाव ने उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित किया। निवेश का अभाव भी एक गंभीर चुनौती थी; निजी निवेशकों ने उद्योगों में पूंजी लगाना कम कर दिया, जिससे आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन की गति थम गई। परिणामस्वरूप, जो उद्योग कभी बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते थे, वे धीरे–धीरे ठहराव और अवनति की ओर बढ़ने लगे।

2. हालिया नीतिगत पहल

पिछले एक–दो दशकों में, राज्य और केंद्र सरकारों ने इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बिहार सरकार की खाद्य प्रसंस्करण नीति (2017) इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई है। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कर रियायतें, सब्सिडी और भूमि आवंटन जैसी प्रोत्साहनात्मक सुविधाएँ दी जा रही हैं, ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके और किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। इसी प्रकार, डेयरी सहकारिता आंदोलन के अंतर्गत सुधा (Comfed) ने ग्रामीण स्तर पर किसानों को संगठित कर दूध उत्पादन और विपणन की व्यवस्था की है। इस पहल से न केवल किसानों की आय बढ़ी है बल्कि राज्य में डेयरी उद्योग का आधुनिक और टिकाऊ मॉडल भी स्थापित हुआ है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि–सम्पदा योजना भी बिहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव का कारक बनी है। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने पर केंद्रित है, ताकि कृषि उत्पाद खेत से उपभोक्ता तक अधिक कुशलता और न्यूनतम हानि के साथ पहुँच सकें। इस योजना के अंतर्गत कोल्ड–चेन, भंडारण और प्रसंस्करण केंद्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों को बाज़ार से बेहतर जुड़ाव और मूल्यवर्धन का लाभ मिल रहा है।

इन पहलों के परिणामस्वरूप, बिहार में कृषि–आधारित उद्योगों के लिए नई संभावनाएँ उभर रही हैं। यदि इन नीतियों का सही क्रियान्वयन और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो यह राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा और गति प्रदान कर सकते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ एवं बाधाएँ

सरकारी नीतियों और योजनाओं के बावजूद बिहार के कृषि–आधारित उद्योगों को अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इनके विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित करते हैं। सबसे पहली चुनौती है तकनीकी पिछड़ापन और मशीनरी का अभाव। राज्य में अधिकांश उद्योग अभी भी पारंपरिक तकनीकों और पुरानी मशीनरी पर आधारित हैं, जिसके कारण उत्पादन क्षमता कम रहती है और उत्पाद की गुणवत्ता भी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों तक नहीं पहुँच पाती। आधुनिक तकनीक और स्वचालित उपकरणों के अभाव में प्रसंस्करण लागत बढ़ जाती है, जिससे उद्योग बाज़ार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते।

दूसरी प्रमुख बाधा है पूंजी और ऋण सुविधाओं की कमी। लघु एवं मध्यम स्तर के अधिकांश उद्यम वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त ऋण प्राप्त करने में असफल रहते हैं। बैंकों और सहकारी समितियों से मिलने वाला कृषि ऋण प्रायः सीमित और जटिल प्रक्रियाओं से बंधा होता है। नतीजतन उद्यमियों को प्रारंभिक निवेश, मशीनरी क्रय, अवसंरचना विकास और कार्यशील पूंजी की पूर्ति करने में कठिनाई आती है।

इसके अतिरिक्त, विपणन अवसंरचना और कोल्ड–स्टोरेज नेटवर्क का अभाव भी इन उद्योगों की उत्पादकता और लाभप्रदता को सीमित करता है। बिहार में बड़े स्तर पर फल और सब्ज़ी उत्पादन होता है, लेकिन उचित कोल्ड–चेन, प्रसंस्करण इकाइयों और भंडारण सुविधाओं के अभाव में भारी मात्रा में उपज बर्बाद हो जाती है। किसानों और उद्यमियों को स्थानीय मंडियों तक ही सीमित रहना पड़ता है, जबकि बाहरी और निर्यात बाज़ार तक उनकी पहुँच नहीं बन पाती।

अंततः, बिजली, सड़क और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमजोरी भी विकास की गति को धीमा करती है। ग्रामीण और अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की अस्थिरता, खराब सड़क नेटवर्क और सीमित रेल–परिवहन सेवाएँ कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार उत्पाद की विपणन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इस कारण उद्योगों की परिचालन लागत बढ़ जाती है और उत्पाद का मूल्य बाज़ार में अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता घटती है।

इस प्रकार, तकनीकी, वित्तीय, अवसंरचनात्मक और संस्थागत बाधाएँ मिलकर बिहार के कृषि–आधारित उद्योगों को एक सशक्त औद्योगिक आधार बनने से रोकती हैं। इन चुनौतियों को दूर किए बिना राज्य के ग्रामीण उद्योग न तो किसानों की आय बढ़ा पाएँगे और न ही राज्य की अर्थव्यवस्था में अपेक्षित योगदान दे पाएँगे।

निष्कर्ष

बिहार में कृषि–आधारित उद्योगों के विकास के लिए प्रचुर संभावनाएँ हैं। राज्य की उपजाऊ भूमि और कृषि विविधता एक मजबूत आधार प्रदान करती है। यदि राज्य सरकार निवेश को आकर्षित करने, अवसंरचना को सुधारने और तकनीकी उन्नयन पर बल देती है, तो ये उद्योग ग्रामीण विकास को गति देने और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में सक्षम हो सकते हैं।

सुझाव

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं:

1. बंद पड़ी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण एवं उन्हें पुनः संचालित करने के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज तैयार किया जाए।
2. प्रत्येक जिले में वहाँ की प्रमुख उपज के आधार पर फल–सब्ज़ी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए।
3. डेयरी उद्योग में सफल सहकारिता मॉडल को अन्य कृषि क्षेत्रों, जैसे कि फल और सब्जी उत्पादक संघों, में भी विस्तारित किया जाए।

4. किसानों को अपने उत्पादों के मूल्यवर्धन के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।
5. ग्रामीण स्तर पर कोल्ड–चेन, भंडारण और परिवहन अवसंरचना के नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाए।

संदर्भ सूची

1. कॉमफेड (2017) बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की वार्षिक रिपोर्ट, पटना।
2. बिहार सरकार (2017) खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017, पटना।
3. बिहार सरकार (2018) बिहार औद्योगिक नीति, उद्योग विभाग, पटना।
4. बिहार सरकार (2020) बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20, वित्त विभाग, पटना।
5. भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद् (2016) भारत में कोल्ड चेन अवसंरचना, नई दिल्ली।
6. कुमार, अ. (2015) बिहार में चीनी उद्योगों का पतनः कारण और परिणाम, *इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* 50(21), 72–78।
7. कृषि मंत्रालय (2018) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनाः दिशा–निर्देश, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (2020) वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार।
9. मिश्रा, वि. (2019) बिहार में फल और सब्ज़ी प्रसंस्करणरू विकास की संभावनाएँ, *जर्नल ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी,* 10(6), 821–829।
10. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (2019) बागवानी सांख्यिकी एक दृष्टि में, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. नीति आयोग (2015) कृषि और ग्रामीण विकास रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. योजना आयोग (2012) बिहार में अवसंरचना की बाधाएँ, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. प्रसाद, एन. (2014) बिहार में कृषि–आधारित उद्योगों की संरचनात्मक बाधाएँ, *जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़,* 49(3), 341–359।
14. भारतीय रिज़र्व बैंक (2019) बिहार में कृषि ऋण पर रिपोर्ट, मुंबई।
15. शर्मा, एच. (2017) भारत में कृषि–आधारित उद्योगः एक अवलोकन, *इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट,* 13(1), 55–64।
16. सिंह, पी. एवं झा, अ. (2016) बिहार का कृषि भूगोल, *इंडियन जियोग्राफिकल रिव्यू,* 73(4), 412–426।
17. सिंह, आर. के. (2018) बिहार में कृषि–आधारित उद्योगः अवसर और चुनौतियाँ, *जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट,* 37(2), 201–215।

****